बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक-

विषयः - बिहार प्रशासनिक सेवा के नवनियुक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों का आधारभूत प्रशिक्षण।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-9830, दिनांक 06.10.2009 द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा के नव नियुक्त प्रशिक्षु पदाधिकारियों को वर्त्तमान में 80 (अस्सी) सप्ताह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें 20 सप्ताह का संस्थिक प्रशिक्षण एवं 4 सप्ताह का द्वितीय चरण में संस्थिक प्रशिक्षण तथा 56 सप्ताह का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है।

2. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के बढ़ते कार्यभार, विकास कार्यक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि, कार्य संपादन के नये-नये तकनीक, लोक दायित्व एवं लोक सीमाओं में वृद्धि के मद्देनजर बिहार प्रशासनिक सेवा के नव नियुक्त पदाधिकारियों के लिए पूर्व से निर्धारित प्रशिक्षण की अवधि एवं कार्यक्रम में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

3. अतः सम्यक विचारोपरान्त बिहार प्रशासनिक सेवा के नव नियुक्त प्रशिक्षु पदाधिकारियों के लिए कुल 40 (चालीस) सप्ताह का पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया हैः -

क्रम सं0	सप्ताह में	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि (सप्ताह में)	अभ्युक्ति
1	1-12	प्रथम चरण संस्थिक प्रशिक्षण (Induction Training)	12	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना के अधीन।
2		**क्षेत्रीय प्रशिक्षण**		**जिला/अनुमंडल एवं प्रखंड में।**
	13-14	कोषागार प्रशिक्षण	02	
	15-16	राजस्व न्याय	02	
	17-18	न्यायिक प्रशिक्षण	02	
	19-22	जिला नजारत/राजस्व/सामान्य शाखा/गोपनीय शाखा/आपूर्ति/विकास/लेखा/परिवहन	04	
	23-24	जिला पंचायत/ग्रामीण विकास अभिकरण	02	
	25-26	सर्वे एवं बंदोवस्त	02	
	27	रेकर्ड रूम/कापियिंग एवं निलामपत्र	01	
	28	आरक्षी प्रशिक्षण	01	
	29	अनुमंडल पदाधिकारी के साथ	01	

	30	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी	01	
	31-38	प्रखंड/अंचल में प्रशिक्षण	08	अपर प्रखंड विकास पदाधिकारी/अपर अंचल अधिकारी के रुप में ।
3	39-40	द्वितीय चरण सांस्थिक प्रशिक्षण	02	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना के अधीन।
		कुल सप्ताह-	40	

4. उपर्युक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सभी परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्त्ता पदस्थापन वाले जिला में वरीय उप समाहर्त्ता के रुप में कार्य करते हुए परीक्ष्यमान अवधि (2 वर्ष) पूरा करेंगे।

5. यह पुनरीक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार प्रशासनिक सेवा के 56वीं से 59वीं बैच के नव नियुक्त पदाधिकारियों के लिए चालू प्रशिक्षण सत्र से लागू होगा।

आदेशः -आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी, पटना/ बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- 23/10/18

(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/नि0-1005/2009-सा0प्र0- 13982 /पटना-15, दिनांक- 23.10.18

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से) प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 200 (दो सौ) प्रतियॉं विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/- 23/10/18

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-12/नि0-1005/2009-सा0प्र0- 13982 /पटना-15, दिनांक- 23.10.18

प्रतिलिपि-महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ,पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, पटना/सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव,सभी विभाग, बिहार, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 23/10/18

सरकार के अपर सचिव